न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 09/2021

1—रुकमणी पत्नि रमेश जाति वैश्य निवासी जुरहरा तहसील कामां

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 4.4.2022

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0रा0अ0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2114 नवीन खसरा नम्बर 88 रकवा 0.19 वाके ग्राम जुरहरा तहसील कामां की प्रार्थीया के कब्जे काश्त खातेदारी का रकवा है । पूर्व में सैटीलमेन्ट नक्शा में खसरा नम्बर 2114/0.19 हैक्ट0 को दर्शाया गया है व नवीन सैटीलमेन्ट नक्शा में खसरा नम्बर 88/0.19 ऐयर को प्रदर्शित किया जा रहा है वह मौके के अनुसार सही नहीं है और जिसे संशोधित किया जाना अतियत्न आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । तथा उक्त प्रकरण का क्षेत्राधिकार समहित है प्रार्थना पत्र के साथ ब्लूप्रिंट नक्शा मौका सलग्न किया जा रहा है और मुताबिक मौका प्रार्थीया नवीन सैटिलमेन्ट नक्शा में दुरूस्ति करा पाने के अधिकारी है । सैटिलमेन्ट नक्शा के अनुसार प्रदर्शित खसरा नम्बर 88/0.04 एयर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में अवाप्त किया जा चुका है । जिसमें सडक पूर्व में निकाली जा चुकी है उक्त सैटिलमेन्ट नक्शा में जो खसरा नम्बर 89 प्रदर्शित किया है वह कतई गलत खिलाफ मौका व कानून है और मुताबिक मौका खसरा नम्बर 88/0.19 एयर का ही भाग है और मुताबिक सैटिलमेन्ट नक्शा में खसरा नम्बर 88/0.19 ऐयर की जो वस्तुस्थिति प्रदर्शित की गई है वह मौके के मुताबिक गलत है । और प्रार्थिया द्वारा जो ब्लूप्रिंट नक्शा पेश किया जा रहा है लम्बाई व चौडाई व क्षेत्रफल मुताबिक पूर्व सैटिलमेन्ट नक्शा के ही मुताबिक पूर्व सैटिलमेन्ट नक्शा के व प्रार्थीया खसरा नम्बर 88 /0.19 ऐयर की वस्तुस्थिति में दुरूसित पूर्व नक्शा मुताबिक करना चाहती है । खसरा नम्बर 88/0.19 के सडक पार सामने के खसरा नम्बर 2125 का ही भाग है ना कि सैटिलमेल्ट नक्शा के मुताबिक है प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व जमाबन्दियां व खसरा मिलान प्रस्तुत किया है । हाल सैटिलमेन्ट नक्शा में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थिया नवीन सैटिलमेन्ट नक्शे में गौर पश्चात दुरूस्ति करा पाने के अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया है । तहसीलदार कामां की मौका रिपोर्ट के मुताबिक ख0नं0 88 रकवा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम जुरहरा पर प्रार्थीया दर्ज रिकार्ड है । ख0नं0 88 रकवा 0.19 हैक्टर में से करीब 1500 वर्ग मी0 में बाउण्ड्री बनी हुई है शेष 0.04 है यानि 400

वर्ग मी0 रकबे के दोनो तरफ सडक व रास्ता होने से सडक सीमा में छोडी हुई है । आ0खनं0 88 के सामने गत खसरा नम्बर 2125 से बने खसरा नम्बर 89 रकवा 0.04 हैक्ट0 को गै0मु0 सडक दर्शा कर पी.डब्लू.डी. के नाम दर्ज किया हुआ है । नाप कर जांच करने पर पाया गया है कि नक्शे में मौके के विपरीत ख.नं. 89 का हिस्सा व तरफ दक्षिण की मेड व तरफ पश्चिम करीब 2 गट्ठा यानि 4 मीटर खनं0 88 की चार दीवारी के अन्दर दिखाया गया है जो गलत है । गत ख0नं0 2125 का हाल नम्बर 89 सडक के इस पार 88 सडक के इस पार खसरा नम्बर 88 के तक आता है जिसकी किस्म गै.मु.सडक दर्ज है । आवेदिका का प्रार्थना पत्र इस स्तर तक ही संशोधन किया जाना उचित है कि वर्तमान नक्शा में 2 गट्ठा भूमि को कम दर्शाकर मुताबिक मौका व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे । गै.मु. सडक दर्शायी गई है उसमें खसरानम्बर 2125 व हाल 89 का हिस्सा शामिल है जो इनकी भूमि के सामने स्थित सडक सीमा में स्थित है । मौके व रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि मौका व रिकार्ड के दुरूस्त है जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रार्थना पत्र भू.राजस्व अधिनियम अन्तर्गत धारा 136 को खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)